

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या २४३/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. १६५/२०१९)
श्रीमती राम सखी आदि बनाम नरेन्द्र कुमार आदि
०६.०१.२०२१

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती रामसखी, संतोष, प्रदीप पाल एवं दीपक द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका लोक अदालत में निर्णीत हो चुकी है तथा विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा की जा चुकी है। न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध न तो कोई अपील है और न ही कोई स्टे है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि प्रकरण में जमाशुदा धनराशि उनके खाते में, जिनका विवरण प्रार्थनापत्र में अंकित है, में भेजे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती रामसखी का शपथपत्र ४सी२, अपने-अपने बैंक खाते व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. १६५/२०१९ श्रीमती रामसखी आदि बनाम नरेन्द्र आदि, प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया रामसखी ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है। एम.ए.सी.पी. सं. १६५/२०१९ की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिरण द्वारा दिनांक ०१.११.२०२० को ई लोक अदालत में सुलहनामा के आधार पर ₹ ५,४९,००० का एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से प्रार्थीगण/याचीगण सं. १ लगायत ४ को क्रमशः ४०, २०, २० व २० प्रतिशत भाग प्राप्त होना है तथा याची सं. १ लगायत ४ के भाग की ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की एन्युटी ३-३ वर्ष के लिए बनाई जानी है एवं शेष भाग २५-२५ प्रतिशत धनराशि उन्हें आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है। कार्यालय आख्या के अनुसार बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार UTR No. AXISP00162676620 से दिनांक २३.११.२०२० को पी.एन.बी. झोकन बाग, झाँसी में ₹ ५,४९,००० जमा होने का इन्द्राज है। प्राथीगण द्वारा अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई है। अतः मेरे विचार से प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा पारित एवार्ड के अनुसार प्रार्थीगण प्रस्तुत याचिका में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ ५,४९,००० मय अब तक अर्जित ब्याज को जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उनके बैंक खाते में व वर्णित एन्युटी के अन्तर्गत पाने के अधिकारी है।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकन बाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. १६५/२०१९ (प्रकीर्ण वाद सं. २४३/२०२० श्रीमती रामसखी आदि बनाम नरेन्द्र कुमार आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disburseme nt	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Ram Sakhi	164700	30	Annuity for 3 years	—	Any Nationaliz ed Bank	—
1. Smt. Ram Sakhi	54900	10	Elect. Mode RTGS/NEFT	3740107881	Cetral Bank of India Branch Dayal Katharia Building Babina Cantonme nt Jhansi	CBIN02 80175
2. Santosh	82350	15	Annuity for 3 years	—	Any Nationaliz ed Bank	—
2. Santosh	27450	5	Elect. Mode	12880017001	PNB	PUNB0

			RTGS/NEFT	30142	Babina Main Road Babina, Jhansi	128800
3. Pradeep Pal	82350	15	Annuity for 3 years	—	Any Nationaliz ed Bank	—
3. Pradeep Pal	27450	5	Elect. Mode RTGS/NEFT	12880017002 96457	PNB Babina Main Road Babina, Jhansi	PUNB0 128800
4. Dipak Kumar	82350	15	Annuity for 3 years	—	Any Nationaliz ed Bank	—
4. Dipak Kumar	27450	5	Elect. Mode RTGS/NEFT	12880017003 15141	PNB Babina Main Road Babina, Jhansi	PUNB0 128800
Total	549000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)

पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी